UN WATER

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2019

कोई भी पीछे न रह जाए

कार्यकारी सार

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

World Water
Assessment
Programme

Sustainable
Development
Goals

जल संसाधन प्रबंधन तथा जल आपूर्ति में सुधार तथा स्वच्छता सेवाओं की उपलब्धता विभिन्न सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए बेहद जरूरी हैं, ताकि जब कभी पानी के अनगिनत अवसरों का लाभ उठाने की बात हो, तो 'कोई भी पीछे न रह जाए'।

विश्व जलः संसाधन पर लगातार बढ़ता दबाव

1980 के दशक के बाद से दुनिया भर में पानी का उपयोग प्रति वर्ष लगभग 1% बढ़ रहा है, जो जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक-आर्थिक विकास और खपत के बदलते तरीके के कारण है। विश्व स्तर पर पानी की मांग के 2050 तक एक समान दर से बढ़ते रहने की उम्मीद है। यदि पानी के उपयोग का मौजूदा स्तर जारी रहता है तो इसकी खपत 20% से बढ़कर 30% हो जाएगी, जो मुख्य रूप से औद्योगिक और घरेलू क्षेत्र में मांग के बढ़ने के कारण है। *2 बिलियन से अधिक लोग ऐसे देशों में रहते हैं जो पानी की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं,* और लगभग 4.0 बिलियन लोग वर्ष के कम से कम एक महीने के दौरान पानी के गंभीर संकट का सामना करते हैं। पानी की मांग बढ़ने के साथ-साथ पानी की कमी का स्तर बढ़ता रहेगा और यह जलवायु परिवर्तन में तेजी लाएगा।

जल आपूर्ति और स्वच्छता तक पहुंच

दस में से तीन लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। असुरक्षित स्रोतों से पानी पीने वाले लगभग आधे लोग उप-सहारा अफ्रीका में रहते हैं। दस में से छह लोगों की स्वच्छ शौचालय तक पहुंच नहीं है जो सुरक्षित रूप से प्रबंधित हों, और नौ में से एक खुले में शौच करता है। हालांकि, विश्व स्तर पर ये आंकड़े प्रांतों, देशों, समुदायों और यहां तक कि पास-पड़ोस में व्याप्त अत्यधिक *असमानताओं को उजागर* करते हैं।

विश्व स्तर पर कराए गए लागत-लाभ अध्ययनों से पता चला है कि पानी, स्वच्छता और साफ-सफाई (वॉश) सेवाएं उन पर किए गए निवेश की तुलना में अच्छा सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करती हैं, जिसमें बेहतर स्वच्छता के लिए वैश्विक औसत लाभ-लागत अनुपात 5.5 और बेहतर पेयजल के लिए 2.0 है। ऐसी संभावना है कि उपेक्षित समूहों को बेहतर वॉश सेवाओं का लाभ मिलने से इन समूहों की सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा में बदलाव आएगा और लागत-लाभ विश्लेषण का संतुलन बदल जाएगा।

जल और स्वच्छता के लिए मानवाधिकार और सतत् विकास के लिए 2030 की कार्यसूची

सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता को बुनियादी मानवाधिकार माना जाता है, क्योंकि ये सभी मनुष्यों की गरिमा तथा स्वस्थ आजीविका और मौलिकता को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून राष्ट्रों को कोई भेदभाव बरते बिना सभी को प्राथमिकता के आधार पर पानी और स्वच्छता उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने के लिए बाध्य करता है। पानी और स्वच्छता जैसे मानवाधिकारों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि सेवाएं उपलब्ध हों, भौतिक रूप से सुलभ हों, सभी के लिए सस्ती, सुरक्षित और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हों।

सतत् विकास के लिए 2030 कार्यसूची की प्रतिबद्धता के मूल में 'कोई भी पीछे न रह जाए' की भावना है, जिसका उद्देश्य सभी देशों में सभी लोगों को सामाजिक-आर्थिक विकास से लाभ उठाना और मानवाधिकारों को उसके पूर्ण स्वरूप में प्राप्त करना है।

'पानी का अधिकार' तथा पानी और स्वच्छता के मानवाधिकारों के बीच स्पष्ट अंतर करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए। पानी का अधिकार, जो आम तौर पर राष्ट्रीय कानूनों के तहत विनियमित होता है, को संपत्ति के अधिकार या भूमि के अधिकार के माध्यम से, या राज्य और जमींदार(रों) के बीच एक समझौते के माध्यम से किसी व्यक्ति या संगठन को प्रदान किया जाता है। ऐसे अधिकार प्रायः अस्थायी होते हैं और वापस लिए जा सकते हैं। पानी और स्वच्छता के मानवाधिकार न तो अस्थायी हैं और न ही इनके लिए राज्य से मंजूरी लेनी पड़ती है, और साथ ही इन्हें वापस भी नहीं लिया जा सकता है।

पाकिस्तान में आई बाढ़ से विस्थापित लोगों के लिए लगाए गए शिविर में एक महिला। © UNHCR/S. Phelps, www.flickr.com (CC BY-NC-SA 2.0)

कौन लोग पिछड़ रहे हैं?

भेदभाव के असंख्य आधार हैं, लेकिन उनमें से गरीबी सबसे प्रमुख कारण है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून राष्ट्रों को कोई भेदभाव बरते बिना सभी को प्राथमिकता के आधार पर पानी और स्वच्छता उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने के लिए बाध्य करता है।

महिलाओं और लड़कियों को रोज़ाना दुनिया के कई हिस्सों में पेयजल और स्वच्छता के लिए अपने मानवाधिकारों में भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ता है। जातीय और अन्य अल्पसंख्यक, जिनमें स्वदेशी लोग, प्रवासी और शरणार्थी शामिल हैं, कुल-परंपराओं (जैसे जातियों) को निभाने वाले लोग प्राय: भेदभाव का सामना करते हैं, जैसा कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ होता है। विकलांगता, आयु और स्वास्थ्य की स्थिति भी इसमें एक कारण हो सकती है, क्योंकि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदनशीलता की कमी वाले व्यक्तियों को उन लोगों में शामिल किया जाता है जिनकी सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच नहीं है। संपत्ति, कार्यकाल, निवास और आर्थिक और सामाजिक स्थिति में अंतर भी भेदभाव पैदा कर सकता है।

यह ऐसे विशिष्ट वंचित समूहों या बदतर हालात में रहने वाले व्यक्तियों की कोई विस्तृत सूची नहीं है, और यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग कई प्रकार के भेदभाव (अंतरविरोध) का सामना करते हैं।

जल और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना

पानी की उपलब्धता भौतिक रूप से उपलब्ध पानी की मात्रा पर निर्भर करती है, और विभिन्न उपयोग करने वालों द्वारा इसका संग्रह, प्रबंधन और आवंटन कैसे किया जाता है। इसमें सतही जल, भूजल के प्रबंधन के साथ-साथ जल पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग से जुड़े पहलू शामिल होते हैं।

जल सुलभता से तात्पर्य है कि पानी को भौतिक रूप से कैसे पहुंचाया या प्राप्त किया जाता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाइप से पानी पहुंचाने का तरीका सबसे कम खर्चीला है। जहां पाइप नेटवर्क उपलब्ध नहीं हैं, वहां अधिकांश लोग कुओं या सामुदायिक जल आपूर्ति प्रणालियों (जैसे कियोस्क और विक्रेताओं, या जल ट्रकों के माध्यम से जल वितरण) पर भरोसा करते हैं। सामुदायिक जल आपूर्तियों के मामले में, वे प्राय: कम गुणवत्ता वाले पानी के लिए कई गुना अधिक कीमत चुकाते हैं, जो अमीर और वंचितों के बीच और अधिक असमानता पैदा करती है।

जल उपचार, जल को दूषित होने से बचाने के लिए जल शुद्धता, कीटाणुरहित और संरक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है। जल उपचार के सबसे आम तरीके चौबीसों घंटे उपलब्ध रहने वाली ऊर्जा पर निर्भर करते हैं (आमतौर पर बिजली) - जो अधिकांश विकासशील देशों में उपलब्ध नहीं होती। कम-तकनीक और प्रकृति-आधारित समाधान भी मौजूद हैं लेकिन आमतौर पर उन्हें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया जाता।

स्वच्छता में आमतौर पर स्वच्छता की स्थिति को सुनिश्चित करते हुए कचरे के संग्रह, परिवहन, उपचार और निपटान के लिए ऑन या ऑफ-साइट सुविधाएं शामिल होती हैं। संग्रह प्रणाली से आशय आमतौर पर शौचालय प्रणाली से होता है। विशिष्ट ग्रे इन्फ्राट्रक्चर में परिवहन का आशय पाइप द्वारा भूमिगत सीवेज प्रणाली से है, हालांकि कुछ मामलों में कचरे को ट्रकों द्वारा भी ले जाया जाता है, और उपचार - जब उपलब्ध होता है - में आमतौर पर केंद्रीकृत सीवेज उपचार संयंत्र या स्थानीय रूप से उपलब्ध प्रणाली (जैसे सेप्टिक टैंक) शामिल होती है। अंतिम उत्पादों के निपटान के लिए आम तौर पर उन्हें तरल और ठोस कचरे में बांटा जाता है ताकि उन्हें पर्यावरण में सुरक्षित रूप से निपटाया जा सके, और यदि ऐसा संभव नहीं होता, तो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को इनसिनेटर में जलाकर नष्ट करने के लिए एकत्र किया जाता है।

पानी से संबंधित प्राकृतिक खतरे, जैसे बाढ़ और सूखा, लाखों लोगों की सेवा करने वाली पानी की आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

सामाजिक आयाम

सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के मानवाधिकारों को पूरा करने तथा सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) 6 को लागू करने का प्रयास करते समय बहिष्कार और भेदभाव करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

भेदभाव विभिन्न तरीकों से और विभिन्न कारणों से हो सकता है। प्रत्यक्ष भेदभाव तब होता है जब व्यक्तियों के साथ कानूनों, नीतियों या प्रथाओं के कारण भेदभाव किया जाता है जो जानबूझकर लोगों को सेवा प्रदान करने या समान व्यवहार से वंचित रखते हैं। अप्रत्यक्ष भेदभाव तब होता है जब कानूनों, नियमों, नीतियों या प्रथाओं का बाहरी स्वरूप तो तटस्थ दिखता है, लेकिन व्यवहार में उन्हें बुनियादी सेवाओं के प्रावधान से वंचित रखा जाता है।

घर और कार्यस्थल में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं की बुनियादी व्यवस्था कर्मचारियों के स्वास्थ्य और उत्पादकता, दोनों को बढ़ाती है। स्कूलों में इसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने से विशेषकर किशोरियों की गैर-हाजिरी कम होती है और शिक्षा के बेहतर परिणाम मिलते हैं।

जल और स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच का निम्न स्तर प्राय: जातीय अल्पसंख्यकों और स्थानीय लोगों में देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों से भूमि और पानी को महत्व देने वाला पारंपरिक ज्ञान मानवाधिकारों के लक्ष्य को प्राप्त करने में कारगर हो सकता है।

सुशासन

बहु-हितधारक संवाद और सहयोग करने के लिए संस्थागत ढांचों का होना स्थायी जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

अकेले सरकार हर समय सभी नागरिकों को, विशेष रूप से कम आय वाले लोगों को पानी की आपूर्ति और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। जबकि सरकारों की भूमिका नीति निर्धारण और कानून बनाने की होती है, वहीं सेवाओं को वास्तविक रूप से उपलब्ध कराने का कार्य गैर-राज्य कार्यकर्ताओं या स्वतंत्र विभागों द्वारा किया जाता है। सुव्यवस्थित उत्तरदायी प्रणाली सेवा प्रदाताओं के दायित्वों की निगरानी करने और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त क्षमता वाले संस्थानों को उनका कार्य पूरा करने में मदद करती है।

विभिन्न संस्थागत स्तरों के बीच तालमेल पैदा करके यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि नीतियां अपने उद्देश्यों को पूरा करें। बहु-स्तरीय शासन के वर्तमान संदर्भ में, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका नागरिक समाज की राय को व्यक्त करने, जनता की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने तथा नीति निर्माण में काफी कारगर पाई गई है। बड़े कॉर्पोरेशन नीति-निर्माण के साथ-साथ नीतिगत परिणामों पर भी काफी प्रभाव डाल सकते हैं।

ब्राजील में स्वदेशी महिलाएं। © Filipefrazao/iStock/Getty Images

सभी को कम खर्च पर पानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए ऐसी नीतियां बनाने की आवश्यकता है जो लक्षित समूहों के अनुरूप हों।

सेवा प्रावधानों पर नज़र रखने या उनकी निगरानी करने की व्यवस्था की तुलना में गरीबों के लिए नीतिगत घोषणाएं करना कहीं अधिक लोकप्रिय होता है। जल सेवाओं में असमानताओं को कम करने के लिए गरीबों के लिए निधियां उपलब्ध न कराने से कार्यान्वयन योजनाएं रूक सकती हैं। अवास्तविक लक्ष्यों के साथ-साथ अति-महत्वाकांक्षी नीतियां उत्तरदायित्वों और जिम्मेदार संस्थाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों के बीच बेमेल होने का कारण बन सकती हैं। भ्रष्टाचार, अत्यधिक विनियमन और/या औपचारिक नियमों के प्रति कठोर रूख अपनाने से, जो नौकरशाही जड़ता पैदा करती है, लेनदेन की लागत बढ़ सकती है, निवेश हतोत्साहित हो सकता है और संभवत: जल प्रबंधन सुधार पटरी से उतर सकते हैं या बाधित हो सकते हैं।

मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण (एचआरबीए) मानवाधिकार ढांचे के मूलभूत मानकों, सिद्धांतों और मानदंडों की वकालत करता है। इनमें भेदभाव न बरतना और भागीदारी करना शामिल है जो सक्रिय, स्वतंत्र और अर्थपूर्ण है, तथा साथ ही वंचित या कमजोर स्थितियों में लोगों का प्रतिनिधित्व भी करता है। सुशासन उन प्रणालियों से संबंधित है जिनमें जवाबदेही, पारदर्शिता, वैधता, सार्वजनिक भागीदारी, न्याय और दक्षता के गुण होते हैं और इसलिए ये एचआरबीए के सिद्धांतों के समान हैं। अच्छी जल व्यवस्था में ऐसे उपाय और प्रणालियां शामिल हैं जो खराब निष्पादन, अवैध कार्य और शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के साथ-साथ प्रभावी नीतिगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देती हैं। निर्णय लेने वालों की जवाबदेही तय करने के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है, कार्यों और गैर-कार्यों की जांच करने के लिए अधिकार रखने (या उनके प्रतिनिधियों) के बीच क्षमता, इच्छा और तैयारियों की आवश्यकता होती है। इससे पारदर्शिता, अखंडता और सूचना तक पहुंच प्राप्त होती है।

आर्थिक आयाम

उपेक्षित और वंचित लोग, जो आमतौर पर पाइप द्वारा पानी उपलब्ध कराने की प्रणाली से जुड़े नहीं होते हैं, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सेवाएं प्राप्त न होने से काफी प्रभावित होते हैं और पाइप द्वारा जल सेवाएं प्राप्त करने वालों की तुलना में अपनी जल आपूर्ति सेवाएं प्राप्त करने के लिए अधिक भुगतान करते हैं।

पानी और स्वच्छता का मानवाधिकार, सेवाओं के भुगतान को विनियमित करने वाली उपयोगिताएं उपलब्ध कराने और यह सुनिश्चित करने का दायित्व राष्ट्रों का है कि पूरी आबादी बुनियादी सेवाएं प्राप्त करने का खर्च उठा सकें। सभी को कम खर्च पर पानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए ऐसी नीतियां बनाने की आवश्यकता है जो लक्षित समूहों के अनुरूप हों।

पेयजल और स्वच्छता पर व्यय में आमतौर पर आधारभूत ढांचे और कनेक्शन की लागत सहित बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, तथा साथ ही इसे चलाने और रखरखाव पर निरंतर खर्च भी करना पड़ता है। सामर्थ्य बढ़ाने का एक तरीका सेवा प्रदान करने की लागत को कम करना है। तकनीकी नई खोज और उसका प्रचार-प्रसार, सुशासन के माध्यम से प्रबंधन में वृद्धि और पारदर्शिता प्रथाओं में वृद्धि, तथा किफायती लागत उपायों के कार्यान्वयन से उत्पादन क्षमता में सुधार हो सकता है और इस प्रकार सेवा की लागत कम हो जाती है।

दक्षता में सुधार करने के बावजूद, यह जरूरी है कि सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने के लिए सब्सिडी को जारी रखा जाए, क्योंकि सब्सिडी प्राय: पूंजीगत व्यय से जुड़ी होती है और ये: अपेक्षाकृत संपन्न समुदायों पर केंद्रित रहती हैं। जो सब्सिडी गरीबों के लिए होती है, उनका लाभ प्राय: समृद्ध लोगों द्वारा उठाया जाता है। जल आपूर्ति सेवाओं की तुलना में स्वच्छता सेवाओं को सब्सिडी की जरूरत कहीं अधिक है, क्योंकि ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान करने की इच्छा अक्सर कम होती है लेकिन इसके सामाजिक लाभ काफी अधिक होते हैं। सब्सिडी से व्यापक सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे उपेक्षित वर्ग अपनी निजी प्राथमिकताओं के लिए संसाधन आवंटित करने के लिए सक्षम बनता है।

अमीर व्यक्ति अक्सर कम कीमत पर उच्च स्तर की सेवा का लाभ उठाते हैं, जबकि गरीब समान या कम गुणवत्ता वाली सेवा के लिए बहुत अधिक कीमत चुकाते हैं।

शुल्क निर्धारित करना - वास्तव में सेवा प्रावधान के प्रमुख धन स्रोत के लिए कई प्रमुख उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है: जैसे लागत वसूली, आर्थिक दक्षता, समानता और सामर्थ्य। शुल्क के ढांचे की रूपरेखा बनाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि ये चारों उद्देश्य परस्पर विरोधी हैं, और इनमें समझौता करने से बचा नहीं जा सकता। वॉश सेवाएँ अन्य कई सेवाओं से भिन्न होती हैं। इन्हें मूल अधिकार माना जाता है और इसलिए उन्हें लागत या भुगतान की क्षमता की परवाह किए बिना लोगों को प्रदान किया जाना चाहिए। यदि सामर्थ्य और समानता के उद्देश्यों को पूरा करना है, तो सब्सिडी पानी के शुल्क के रूप में दी जानी है। इसके लिए बढ़ते ब्लॉक टैरिफ (आईबीटी) की तुलना में वाउचर या नकद वितरण बेहतर विकल्प हो सकता है।

बड़े वॉश सेवा प्रदाता क्रॉस-सब्सिडी के माध्यम से वाणिज्यिक वित्तपोषण का उपयोग कर सकते हैं और वंचित समूहों की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर सकते हैं। जहां-कहीं भी ऐसी स्थिति है, मूल्य निर्धारण प्रणाली छूट के साथ एक-समान व्यापक शुल्क का प्रयोग करते हुए, आबादी समूहों के बीच क्रॉस-सब्सिडी की अनुमति दे सकती है। आदर्श रूप से, छूट प्राप्त न करने वाले ग्राहकों द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुल्क स्तर व्यावसायिक शर्तों पर मूलधन और ब्याज को चुकाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। कुछ मामलों में, अन्य कर स्रोत जैसे घरेलू कर राजस्व, अनुदान और निजी वित्त शुल्क प्राप्तियों को पूरा कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लक्षित समूहों तक पहुंच बनाई जा सके, मिश्रित वित्त दृष्टिकोण के लिए विकास वित्त, निजी वित्त और सरकारी सब्सिडी के संभावित जटिल तालमेल की आवश्यकता होगी।

शहरी परिवेश

पानी और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच के लिए झुग्गी-झोंपड़ी और सामान्य घरों के बीच काफी असमानता है। अमीर व्यक्ति अक्सर कम कीमत पर उच्च स्तर की सेवा का लाभ उठाते हैं, जबकि गरीब समान या कम गुणवत्ता वाली सेवा के लिए बहुत अधिक कीमत चुकाते हैं।

पेरी-अर्बन क्षेत्रों को प्राय: सेवा योजनाओं में शामिल नहीं किया जाता, जहां निवासी करों का भुगतान नहीं करते हैं या जहां उनके किराए पर लिए गए आवास की व्यवस्था अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा होती है। परिणामस्वरूप, दुनिया के सबसे गरीब और सबसे वंचित लोगों को औपचारिक प्रणाली का हिस्सा नहीं माना जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे उन्हें बुनियादी सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने में कठिनाई होती है, क्योंकि उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और इस प्रकार वे आंकड़ों में 'छिपे' या गुम रहते हैं।

शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत संग्रह और उपचार के पैमाने की पैरवी करते हैं। पेरी-अर्बन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व घरेलू कनेक्शन की लागत को उचित ठहराने के लिए बहुत कम हो सकता है, और इतना भी अधिक नहीं होता कि पारंपरिक रूप से बनाई गई प्रणालियों को लागू किया जा सके। पेरी-अर्बन निम्न-आय वाले क्षेत्रों और बड़े गांवों में परिवारों (व्यक्तिगत घरों की बजाय) के समूहों की आपूर्ति निवेश की लागत को कम कर सकती है लेकिन साथ ही सबसे गरीब लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करती है।

अधिकांश शहरी परिवेश में पानी की व्यवस्था का बुनियादी ढांचा, शहरी स्वच्छता बुनियादी ढांचे के प्रावधान से बहुत पीछे है, और

थाईलैंड में चावल के खेत में एक किसान

झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले सबसे गरीब लोग इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसके अलावा, पानी की आवश्यकता में पर्याप्त सुधार की तुलना स्वच्छता में निवेश के साथ की जानी चाहिए। जबकि पानी की आपूर्ति प्रणाली कभी-कभार छोटे, आसानी से प्रबंधित होने वाले नेटवर्क के साथ बेहतर सेवा प्रदान करती है, गंदे पानी और गाद से निपटने की चुनौतियां प्रायः अधिक जटिल होती हैं। इसका एक मुख्य कारण स्वच्छता सेवाओं के लिए भुगतान करने की अनिच्छा है।

सेवा प्रावधान की कुछ लागत की भरपाई करने के लिए संसाधन रिकवरी (पानी, पोषकतत्व, धातु, जैव ईंधन) का उपयोग करने के कई प्रयास किए गए हैं। अतिरिक्त रिकवरी के प्रयासों के बावजूद, सभी 'अपशिष्ट' का परिवहन करने पर इसकी लागत प्रायः प्राप्त लाभ को नगण्य कर देती है। विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (डीईडब्यू सेएटीएस) एक विकल्प के रूप से काफी कम निवेश और परिचालन लागत प्रदान करती है और निश्चित पेरी-अर्बन क्षेत्रों सहित मौजूदा परिस्थितियों में अधिक कुशल समाधान प्रदान कर सकती है।

ग्रामीण गरीबी

दुनिया भर के 80% से अधिक खेत पारिवारिक खेत हैं जो 2 हेक्टेयर से छोटे हैं। छोटी जोत वाले परिवार किसान राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति का आधार होते हैं, जो कई देशों में कृषि उत्पादन में आधे से अधिक का योगदान देते हैं। लेकिन इन सबसे बावजूद, यह ग्रामीण क्षेत्र ही हैं जहां गरीबी, भूख और खाद्य असुरक्षा सबसे अधिक होती है।

गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरचना नाममात्र की है और इस प्रकार यह लाखों ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों के लिए व्यापक जल और स्वच्छता कवरेज सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त है। इसके अलावा, राष्ट्रीय और उप-व्यावसायिक स्तर दोनों पर, घरेलू संसाधन जुटाने और बजट आवंटन सहित संस्थागत क्षमता, पानी के स्थापित बुनियादी ढांचे के रखरखाव की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

छोटी जोत वाले पारिवारिक किसानों के लिए जल प्रबंधन को वर्षा आधारित और सिंचित कृषि, दोनों पर विचार करना होगा। विश्व की लगभग 80% फसल-भूमि वर्षा पर निर्भर है, और दुनिया के 60% खाद्य पदार्थों का उत्पादन वर्षा सिंचित भूमि पर किया जाता है। वर्षा आधारित कृषि प्रणालियों में अनुपूरक सिंचाई न केवल फसल के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकती है, बल्कि गेहूं, सरसों और मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर दोगुनी या तिगुनी वर्षा की पैदावार भी सुनिश्चित कर सकती है।

भावी जल निवेश के अवसर प्रदान करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के लिए सुरक्षित और समान पहुंच सुनिश्चित करना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में उनके योगदान के संदर्भ में छोटे पैमाने पर सिंचाई करने वालों की पानी से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करना है। बड़े

पैमाने पर उपयोगकर्ताओं को जल आबंटन, चाहे सिंचाई या अन्य प्रयोजनों के लिए हो, छोटे किसानों की वैध जरूरतों की कीमत पर नहीं होना चाहिए, भले ही यह औपचारिक रूप से स्वीकृत जल उपयोग अधिकारों को प्रदर्शित करने की उनकी क्षमता के अनुसार हो।

शरणार्थी और जबरन विस्थापित लोग

विश्व स्तर पर मनुष्यों का विस्थापन बड़े पैमाने पर हो रहा है। गरीबी, असमानता, शहरी जनसंख्या वृद्धि, खराब भूमि उपयोग प्रबंधन और कमजोर शासन के साथ-साथ सशस्त्र संघर्ष, उत्पीड़न और जलवायु परिवर्तन, विस्थापन और इसके प्रभावों के जोखिम को बढ़ा रहा है।

घर से दूर, शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को बुनियादी जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्राय: बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से लगभग एक-चौथाई विस्थापित लोग शिविरों में रहते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में विस्थापित लोग शहरों, कस्बों और गांवों में रहते हैं। इन शरणार्थियों, शरण चाहने वालों, आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आईडीपी) और राज्य विहीन लोगों को प्राय: स्थानीय या राष्ट्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी जाती है और इसलिए उन्हें विकास एजेंडा से बाहर रखा जाता है।

गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरचना नाममात्र की है और इस प्रकार यह लाखों ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों के लिए व्यापक जल और स्वच्छता कवरेज सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त है।

बड़े पैमाने पर विस्थापन से जल संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर दबाव पड़ता है, जिसमें स्वच्छता और साफ-सफाई भी शामिल है, परिवर्तन के दौरान और गंतव्य स्थलों पर मौजूदा आबादी और नए लोगों के आने से असमानताएं पैदा होती हैं। मेजबान सरकारें प्राय: यह मानने से इंकार करती हैं कि विस्थापन की स्थिति लंबे समय तक रह सकती है, और वे इस बात पर जोर देती हैं कि शरणार्थी/आईडीपी आसपास के मेजबान समुदाय से अलग सेवा के निचले स्तर पर 'अस्थायी' या 'सांप्रदायिक' सुविधाओं के साथ शिविरों में रहें। स्थिति इससे विपरीत भी हो सकती है, जहां शरणार्थियों को आस-पास रहने वाले समुदायों की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली डब्ल्यूएएस सेवाएं प्राप्त होती हैं।

यह सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है कि सभी शरणार्थियों/आईडीपी को उनके कानूनी निवास, राष्ट्रीयता या अन्य वर्गीकरणों, जो बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, की परवाह किए बिना पर्याप्त स्वच्छता और पानी के अधिकार दिए जाएं। सभी व्यक्तियों की तरह, शरणार्थियों/आईडीपी को सूचना का अधिकार होना चाहिए और निर्णय लेने की उन प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जो उनके अधिकारों को प्रभावित करते हैं।

शरणार्थियों/आईडीपी के लिए राज्यों को 'अस्थायी शिविर' नीतियां बनाने से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि ये उन्हें हाशिए पर ले जा सकते हैं (कानूनी स्थिति से सीधे जुड़े और 'काम करने का अधिकार' या 'आने-जाने की स्वतंत्रता'), जो मेजबान समुदायों के लिए संसाधनों की होड़ को बढ़ा सकती है और शरणार्थियों/आईडीपी के लिए श्रम बाजारों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसकी बजाय, राज्यों को मौजूदा शहरी और ग्रामीण समुदायों के साथ शरणार्थियों/आईडीपी को शामिल करने संबंधी नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य

अरब क्षेत्र

जनसंख्या वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कारण अरब क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आधार पर पानी की कमी बढ़ती रहेगी। पानी की कमी वाली परिस्थितियों में सभी को सुनिश्चित जल सेवाएं उपलब्ध कराने की चुनौती जल संकट में और तेज हो जाती है, जहां पानी के बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा गया है, नष्ट कर दिया गया है और जिन्हें विनाश के लिए लक्षित किया जाता है।

बड़ी संख्या में शरणार्थी दशकों तक खराब स्थितियों में रहते हैं। शरणार्थी शिविरों और अनौपचारिक बस्तियों में अधिक पानी की स्थायी आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मानवीय सहायता, तीव्र विकास कार्य के साथ परस्पर जुड़ी होती है। कई बार यह मेजबान समुदायों के साथ संघर्ष और तनाव पैदा करती है, विशेषकर यदि लोगों को जल सेवाएं समान रूप से उपलब्ध न हों। सरकारों, दाताओं और मानवीय एजेंसियों द्वारा इस बात पर विचार करते हुए कि शरणार्थियों और आईडीपी के साथ-साथ मेजबान समुदायों की सेवा करने में कोई भी पीछे न रह जाए, हाल के वर्षों में इस समस्या पर अधिक ध्यान दिया गया है।

जार्डन में जातारी शिविर में शरणार्थी

एशिया प्रशांत

2016 में, क्षेत्र के 48 देशों में से 29 देश पानी की कम उपलब्धता और जमीन से लगातार पानी निकालने के कारण जल-विहीन हो गए थे। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से पानी की कमी हो जाती है। प्राकृतिक आपदाएँ बार-बार और तेजी से दस्तक दे रही हैं, और आपदा जोखिम बढ़ रहा है। आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त जल और स्वच्छता बुनियादी ढांचे और पानी की गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के कारण वॉश सेवाओं की व्यवस्था करने पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों से विस्थापित हुए लोग जिन क्षेत्रों में जाते हैं, वहां पर्याप्त पानी और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है।

आपदाएं गरीब देशों और लोगों को बेहिसाब नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि इनमें प्राय: कठिनाइयों से उबरने और आपदाओं के प्रभाव को कम करने की क्षमता नहीं होती। आपदाओं का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), स्कूल में दाखिले की दर, स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय पर भी प्रभाव देखा गया है, और यह लगभग गरीब बना सकती हैं - जो लोग प्रति दिन 1.90 अमेरिकी डॉलर और 3.10 अमेरिकी डॉलर पर जीवन यापन कर रहे हैं – अत्यधिक गरीब बन सकते हैं।

यूरोप और उत्तरी अमेरिका

सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराना कई देशों, विशेषकर ग्रामीण इलाकों के लिए एक चुनौती है। हालांकि पूर्वी यूरोप, काकेशस और मध्य एशिया में आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए स्थिति काफी गंभीर है, पश्चिमी और मध्य यूरोप के कई नागरिकों के साथ-साथ उत्तरी अमेरिका में भी पानी और स्वच्छता सेवाएँ समान रूप से उपलब्ध नहीं है। असमानताएं प्राय: सामाजिक-सांस्कृतिक अंतर, सामाजिक-आर्थिक कारणों और भौगोलिक परिवेश से संबंधित होती हैं।

इसलिए असमानताओं का तीन मोर्चों पर सामना किया जाना चाहिए: भौगोलिक विषमताओं को कम करना चाहिए, हाशिए पर रहने वाले समूहों और अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट बाधाओं को दूर करना चाहिए तथा सामर्थ्य से संबंधित समस्याओं को कम करना चाहिए।

लेटिन अमेरिका और कैरेबियन

क्षेत्र के लाखों लोगों के पास आज भी पीने के पानी के पर्याप्त स्रोत नहीं हैं, जबकि इससे भी अधिक उनके पास मल के सुरक्षित निपटान के लिए सुविधाओं का अभाव है। सुविधाओं के अभाव में कई लोग मुख्य रूप से पेरी-अर्बन क्षेत्रों में रह रहे हैं, जो मुख्य रूप से गरीब इलाका है, और शहरों के सीमावर्ती इलाकों में स्थित है। वंचित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना मुश्किल साबित हुआ है।

कई देशों में, शक्तियों के विकेन्द्रीकरण ने जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र को अनेक भागों में विभाजित कर दिया है, जिससे अनेक सेवा प्रदाता हो गए हैं, जिनमें किफायत या आर्थिक व्यवहार्यता प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है तथा साथ ही सेवाएं प्रदान करने में शामिल प्रक्रियाओं की जटिलता से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों और प्रोत्साहनों का भी अभाव है। विकेंद्रीकरण ने सेवा क्षेत्रों के आकार को भी कम कर दिया है और वे एक-समान बन गई हैं, जिससे क्रॉस-सब्सिडी की संभावनाएं सीमित हो गई हैं। यह संपन्न आय वाले समूहों को सेवाएं प्रदान करती हैं जो उपेक्षित कम आय वाले समूहों को सेवाएं प्रदान करने से वंचित कर देती है।

उप-सहारा अफ्रीका

भंडारण और आपूर्ति वितरण दोनों के साथ-साथ बेहतर पेयजल और स्वच्छता सेवाओं के संदर्भ में जल प्रबंधन बुनियादी ढांचे की कमी (आर्थिक पानी की कमी) उप-सहारा अफ्रीका में गरीबी को बनाए रखने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग उप-सहारा अफ्रीका की कुल आबादी का लगभग 60% हिस्सा हैं, और उनमें से कई गरीब हैं। वर्ष 2015 में, क्षेत्र के पांच में से तीन ग्रामीण निवासियों के पास न्यूनतम बुनियादी पानी की आपूर्ति थी और पांच में से केवल एक की न्यूनतम बुनियादी स्वच्छता तक पहुंच थी। आबादी का लगभग 10% आज भी अशुद्ध पानी का सेवन करता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कई गरीब लोग, विशेष रूप से महिलाएं और लड़कियां, पानी लाने में काफी अधिक समय खर्च करती हैं।

वर्ष 2050 तक आधी से अधिक जनसंख्या वृद्धि अफ्रीका में (वैश्विक स्तर पर 2.2 बिलियन में से 1.3 बिलियन से अधिक) होने की संभावना है। हालांकि अफ्रीका के लिए इस बढ़ती आबादी को वॉश सेवाएं उपलब्ध करना ही एकमात्र चुनौती नहीं है, क्योंकि इनके साथ-साथ ऊर्जा, भोजन, रोजगार, स्वास्थ्य शिक्षा की मांग भी बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, और उचित योजना के बिना होती है, जो झुग्गी-झोंपड़ी में बेतहाशा वृद्धि का कारण बन सकती है। हालांकि देशों ने 2000 और 2015 के बीच शहरी झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में रहने वालों की स्थिति में लगातार सुधार किया हो, फिर भी नए घर के निर्माण की दर शहरी जनसंख्या वृद्धि की दर से काफी पीछे रही है।

कार्यनीतियाँ और प्रतिक्रिया विकल्प

तकनीकी दृष्टिकोण से, अभाव वाली स्थितियों में समूहों को पेयजल की आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं की कमी को दूर करने के संभावित प्रयास अलग-अलग जगह पर काफी भिन्न हो सकते हैं। जबकि घनी आबादी वाले शहरी समुदाय बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत वॉश बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए अवसर प्रदान करते हैं, हालांकि संसाधन-साझा करने और बड़े पैमाने पर किफायत बरतने, कम खर्चीली *विकेन्द्रीकृत जल आपूर्ति* और स्वच्छता प्रणालियां शरणार्थी शिविरों सहित छोटी शहरी बस्तियों में सफल रही हैं। कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए उनके घरों के नजदीक व्यापक सुविधाएं लाना है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि वॉश तकनीकों का चयन करने का मूल सिद्धांत 'सर्वोत्तम प्रथाओं' में से एक हो, बल्कि 'सर्वोत्तम योग्य' में से एक है।

घर से दूर, शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को बुनियादी जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रायः बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

अपर्याप्त वित्तपोषण और प्रभावी वित्तपोषण तंत्र की कमी ने वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए वॉश लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न की है। निवेश की कमी के निश्चित अनुपात को प्रणाली की दक्षता बढ़ाकर दूर किया जा सकता है, जिसमें पहले से उपलब्ध वित्त का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है जो कुल लागत को काफी कम कर सकता है। हालांकि, उपेक्षित वर्गों के लिए सब्सिडी निर्धारित करना और समान शुल्क ढांचा वित्त-पोषण तथा लागत की वसूली करने का महत्वपूर्ण स्रोत बनी रहेगा। अंतरराष्ट्रीय दाता समुदाय का समर्थन विकासशील देशों के लिए अहम बना रहेगा, लेकिन यह धन का मुख्य स्रोत नहीं हो सकता है। सरकारी विकास सहायता (ओडीए) विशेष रूप से अन्य स्रोतों से निवेश जुटाने में सहायक होती है, जैसे कि निजी क्षेत्र सहित वाणिज्यिक और मिश्रित वित्त। हालाँकि, यह राष्ट्रीय सरकारों पर निर्भर करता है कि वॉश सेवाओं के विस्तार के लिए उपलब्ध सार्वजनिक निधियों की मात्रा को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए।

लेकिन केवल निधियां और निवेश की मात्रा बढ़ाने से ही यह सुनिश्चित नहीं हो सकता कि वॉश सेवाओं की उन सभी तक पहुंच हो जाएगी जो सबसे अधिक वंचित हैं। इसलिए सब्सिडी की रूपरेखा उचित, पारदर्शी और लक्षित होनी चाहिए, तथा शुल्क ढांचों को समानता, सामर्थ्य और प्रत्येक लक्षित समूह को उपयुक्त स्तर की सेवा प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया और कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

प्राकृतिक छटा को निहारता एक मसाई पुरुष

निर्धारित निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, विकास और नई खोज आवश्यक है। हालांकि समान शुल्क ढांचों की रूपरेखा बनाने की दिशा में कुछ प्रगति हुई है, जो गरीब लोगों और वंचित हालात में - दंड देने की बजाय - फायदा पहुंचाते हैं, अत: वॉश सेवाओं के आर्थिक आयामों को शामिल करने के लिए आगे अनुसंधान और विश्लेषण की आवश्यकता है। उपेक्षित ग्रामीण समुदायों की जानकारी और क्षमता-निर्माण की आवश्यकता प्राय: ऊपर वर्णित शहरी गरीबों के समान हैं, लेकिन इसमें जल संसाधन आवंटन से संबंधित जानकारी और जल अधिकारों की सुरक्षा भी शामिल होती है। निगरानी प्रगति ज्ञान और क्षमता विकास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। अलग-अलग डेटा (लिंग, आयु, आय समूहों, जातीयता, भूगोल, आदि के संबंध में) और सामाजिक समावेश विश्लेषण यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण साधन है कि कौन से समूह पर 'पिछड़ने' का सबसे अधिक खतरा मंडरा रहा है, और क्यों? सस्ते, सुरक्षित और कुशल वॉश बुनियादी ढांचे और संबंधित साधनों (जैसे मोबाइल फिल्टर, शौचालय) को विकसित करने के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग में शोध करने की भी आवश्यकता है।

जल और स्वच्छता के संबंध में लोगों के 'पिछड़ने' के मूल कारणों का समाधान करने में समुदाय-आधारित कार्रवाई महत्वपूर्ण है। सुशासन से श्रेणीबद्ध अधिकारों से हटकर जवाबदेही, पारदर्शिता, वैधता, सार्वजनिक भागीदारी, न्याय और दक्षता की अवधारणाओं को अपनाने की अपेक्षा की जाती है - ये वे सिद्धांत हैं जो एचआरबीए के अनुरूप हैं। जल संसाधन आवंटन प्रणाली खाद्य और/या ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा करने, या औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने स्थापित की जा सकती है - लेकिन यह सुनिश्चित करना कि सभी की बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं (घरेलू के साथ-साथ निर्वाह प्रयोजनों) को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी (उपयुक्त गुणवत्ता वाला) उपलब्ध हो, प्राथमिक गारंटी होनी चाहिए।

जल और पलायन के बीच संबंध लगातार ध्यान आकर्षित कर रहा है, यद्यपि उन्हें अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास नीति में पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है। शरणार्थियों और आईडीपी द्वारा सामना की जा रही वॉश से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष केंद्रित राजनीतिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। शरणार्थी शिविरों में सेवा प्रावधान के मामले में, सामाजिक भेदभाव से निपटने और समान पहुंच बनाने के लिए आसपास के समुदायों/राष्ट्रीय मानकों के साथ सेवा स्तरों का तालमेल बनाना आवश्यक है।

बिना भेदभाव के और समान आधार पर पानी और स्वच्छता संबंधी मानवाधिकारों को प्राप्त करने का दायित्व और जिम्मेदारी *उन सभी लोगों* की है जो इस कार्य में लगे हैं। मानवाधिकार से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिन्हें पानी और स्वच्छता उपलब्ध कराने का अधिकार दिया गया है, और राज्यों का यह कर्तव्य है कि वे अपने उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए सभी को वॉश सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। गैर-सरकारी संगठनों पर भी मानवाधिकार प्रदान करने की जिम्मेदारी है और उन्हें मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन सेवा प्रदान करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और उन्हें ऐसे प्रयासों में पर्याप्त समानता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय संस्थानों, और विकास सहयोग भागीदारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है कि उनकी सहायता उन देशों या क्षेत्रों को दी जाती है जो पानी और स्वच्छता के अधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं।

कोडा

अलग-अलग समूहों के लोग अलग-अलग कारणों से 'पिछड़' जाते हैं। भेदभाव, बहिष्कार, उपेक्षा, जटिल अधिकार विषमताएं और भौतिक असमानताएं, सभी के लिए सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के मानवाधिकारों को प्राप्त करने और 2030 के एजेंडा के जल-संबंधी लक्ष्यों को साकार करने में मुख्य बाधाएं हैं। दोषपूर्ण और अपर्याप्त ढंग से लागू की गई नीतियां, वित्तीय संसाधनों का अकुशल और अनुचित उपयोग, तथा साथ ही नीतिगत कमियां सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के लिए असमानता को बढ़ावा देती हैं। जब तक बहिष्कार और असमानता को स्पष्ट रूप से और जिम्मेदारी से नीति और व्यवहार दोनों में दूर नहीं किया जाता, तब तक पानी उन लोगों तक नहीं पहुंच सकेगा जिनकी इन्हें सबसे अधिक जरूरत है और जिनके सबसे अधिक लाभान्वित होने की संभावना है।

जल संसाधन प्रबंध में सुधार और सभी को सुरक्षित और सस्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपलब्ध करना, गरीबी उन्मूलन, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है, और यह सुनिश्चित करना है कि स्थायी विकास की दिशा में कोई भी 'पीछे न रह जाए'। ये लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त किए जा सकते हैं, बशर्ते कि ऐसा करने के लिए दृढ़ सामूहिक इच्छाशक्ति हो।

डब्ल्यूडब्ल्यूएपी द्वारा तैयार। रिचर्ड कोन्नोर, स्टीफन उहेलनब्रुक और **एंगिन कोनकागुल**
यह प्रकाशन संयुक्त राष्ट्रजल की ओर से डब्ल्यूडब्ल्यूएपी द्वारा किया गया है।

© यूनेस्को 2019

इस पूरे प्रकाशन में उल्लिखित पदनाम और प्रस्तुत सामग्री में यूनेस्को की ओर से व्यक्त कोई राय, जो कोई भी हो, का अर्थ किसी भी देश, प्रदेश, शहर या क्षेत्र या उसके प्राधिकारियों की कानूनी स्थिति या उसकी सरहदों या सीमाओं के परिसीमन से संबंधित अभिव्यक्ति से नहीं है। इस प्रकाशन में व्यक्त विचार और राय लेखकों के हैं; यह आवश्यक नहीं कि वे यूनेस्को के हों और ये किसी संगठन को प्रतिबद्ध नहीं करते।

कॉपीराइट और लाइसेंस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.unesco.org/water/wwap पर उपलब्ध पूरी रिपोर्ट देखें।

यूनेस्को विश्व जल आकलन कार्यक्रम
वैश्विक जल मूल्यांकन कार्यक्रम कार्यालय
जल विज्ञान प्रभाग, यूनेस्को
06134 कोलोमबेला, पेरुगिया, इटली
ईमेल: wwap@unesco-org
www-unesco-org/water/wwap
SC-2019/WS/1

हम इटली सरकार और उम्ब्रिया प्रांत द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

Regione Umbria